कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक–'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो–827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

पत्रांक : ...., दिनांक : ....

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– **सी०सी०एल० के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे० (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत 8.27 हे० एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत 2.84 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Others/34881/2018) के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1373 दिनांक 03.11.2021 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का पत्रांक 42 दिनांक 07.01.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि सी०सी०एल० के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे० (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत 8.27 हे० एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत 2.84 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा पृच्छा करते हुए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन में कौन–कौन पदाधिकारी दोषी थे तथा उस पर क्या कार्रवाई हुई है, से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / –

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

ज्ञापांक 38 **, दिनांक** 21.01.2022

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

21-1-22

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।
(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0—मरार, जिला—रामगढ़ पिन—829117)
Email id – dfo-ramgarh@gov.in

पत्रांकः— 42 दिनांकः— 07-01-2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :— **सी0सी0एल0 की नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 तथा रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/OTHERS/34881/ 2018) के संबंध में।**

प्रसंगः— **प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक— 1373 दिनांक 03.11.2021 एवं आपका कार्यालय ज्ञापांक— 946 दिनांक 04.12.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि (राजस्व अभिलेख में जंगल—झाड़ी दर्ज भूमि —2.84 हे0) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंधन किया हुआ पाया गया है, जिसकी प्रविष्टि पार्ट—2 के कंडिका संख्या— 11(i) में किया गया है। चुंकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत भू—भाग गैर मजरूआ जंगल झाड़ी दर्ज है, जिसका स्वामित्व वन विभाग को नहीं है। प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयगत परियोजना अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंधन में दोषी पदाधिकारियों का नाम उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत उल्लंधन में दोषी पाए गए पदाधिकारियों का नाम निम्नवत हैः—

1. श्री नन्दकिशोर सिंह, महाप्रबंधक (परियोजना), M/s RITES Ltd.
2. श्री दिनेश कुमार रामा, परियोजना पदाधिकारी, नार्थ उरीमारी/बिरसा परियोजना, M/s CCL, Barka Sayal

सादर सूचनार्थ समर्पित।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।

07/01/22

D:\Mukesh Mishra\Shashi Dubey\FC Act\FC Act Misc. Letter-2021.Docx